न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 63 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट

1. केवलचन्द पुत्र छोगालाल कौम महाजन(महेश्वरी) उम्र 56 वर्ष निवासी बाटाडू हाल टावर।।, फ्लेट नं. 12 पर्वत पाटिया, मोडर्न टाऊन, सूरत (गुजरात)।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.ताराचन्द पुत्र छोगालाल जाति महेश्वरी निवासी शान्तिनगर हड्डी मील, पाली जिला पाली(राज.)
2.रामदयाल पुत्र तुलसीदास
3.लक्ष्मीनारायण पुत्र तुलसीदास
4.जेठी पत्नी तुलसीदास जाति महाजन(महेश्वरी) ग्राम बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
5.स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र छोगालाल के कायम मुकाम:–
5/1रामेश्वर पुत्र भंवरलाल जाति महेश्वरी निवासी जलाराम नम्बर 2, पर्वत पाटिया, मोर्डन टाऊन के सामने, सूरत (गुजरात)
5/2देवराज पुत्र भंवरलाल जाति महेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु।
5/3कानराज पुत्र भंवरलाल जाति महेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु
5/4श्यामसुन्दर पुत्र भंवरलाल जाति महेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु
5/5सोहनी पुत्र भंवरलाल पत्नी लक्ष्मीनारायण राठी निवासी रतेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर।
5/6शांति पुत्री भंवरलाल पत्नी मेगराज, जाति महेश्वरी निवासी महेश्वरी गली, धोरीमना, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर।
5/7सुचिया पुत्री भंवरलाल पत्नी चन्दणमलजी पुंगलिया निवासी मसूरिया रामदेवजी के मंदिर के सामने, जोधपुर (राज.)
5/8बसंती पुत्री भंवरलालजी पत्नी घन्श्यामजी केला निवासी चाबा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर (राज.)
5/9किस्तूरी पत्नी स्वर्गीय भंवरलालजी महेश्वरी निवासी बाटाडू तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
6.घमण्डीराम पुत्र छोगालाल जाति महेश्वरी निवासी बायतु तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
7.स्वर्गीय मांगीलाल पुत्र छोगालाल के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कायम मुकामः– 7/1राधेश्याम
7/2. पारसमल
7/3. जीतमल पुत्रान मांगीलाल, जाति महेश्वरी, निवासी बाटाडू तहसील बायतु, जिला बाड़मेर (राज.)
8.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार बायतु, जिला बाड़मेर (राज.)
9.तहसीलदार एवं पदेन उप पंजीयक बायतु।
10.शाखा प्रबन्धक, J.T.G.Bank,शाखा बाटाडू, जिला बाड़मेर।
11.अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग(बाड़मेर लिफ्ट परियोजना) खण्ड प्रथम बाड़मेर।
12.शाखा प्रबन्धक,R.M.G.Bank,शाखा
13.जेठाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।
14.कुम्माराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील बायतु जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर राजस्व वाद सं. 129/1994 अनवान वादी ताराचन्द बनाम तुलछीदास वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.1997।

उपस्थिति

1. वकील श्री नरपतसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेण्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 23.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद पेश किया कि मौजा बाटाडू खेत खसरा संख्या 1554,1556,1633,1619/1 कुल रकबा 266.17 बीघा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 5 प्रत्येक का 1/10 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा पृथक–पृथक किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना अपीलांट की पीठ के पीछे एकतरफा पारित आदेश अपीलांट के हितों एवं अधिकारों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। सह खातेदारों के मध्य खातेदारी कृषि भूमि के विभाजन के प्रावधान है तथा राजस्थान टीनेन्सी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

(सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई। विभाजन के प्रस्ताव तैयार करने का दायित्व तहसीलदार स्वयं का है। तहसीलदार, पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक की सहायता प्रस्ताव तैयार करने में ले सकता है परन्तु प्रस्ताव उसकी स्वयं की मौके पर उपस्थिति में ही तैयार करने का कानूनी प्रावधान है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों की स्पष्टतः अवहेलना की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त प्रस्तावों पर अपीलांट के एतराज सुने बिना एकतरफा पारित अंतिम विभाजन की डिक्री विधि प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. सम्मन तलब किया गया। सम्यक तामील हुई बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण रेस्पोडेंट के खिलाफ दिनांक 03.08.2018 व 28.11.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में बिना मौके पर आये गलत रूप से कब्जे के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया जिसके आधार पर आलोच्य निर्णय पारित किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds के सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांट के वकील ने मियाद के बिंदु पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट व उसका परिवार अपने व्यापार धंन्धे के लिए सूरत (गुजरात) रहता है। कुछ दिन पहले अपीलांट 18/03/2018 को अपने मूल गांव बाटाडू आया एवं अपनी पुश्तेनी भूमि की पैमाईश हेतु पटवारी बाटाडू से दिनांक 18.03.2018 को रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज खसरा संख्या की जानकारी प्राप्त कर तहसीलदार बायतु के समक्ष एक प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश/सीमा ज्ञान करने बाबत दिनांक 20.03.2018 को पेश किया। पटवारी बाटाडू ने दिनांक 23.03.2018 को मौके पर भूमि की पैमाईश कर अवैध बंटवारे के आधार पर जमाबंदी में अपीलांट के नाम दर्ज खसरा संख्या 1713/1556, 1723/1619, 1727/1623 का नक्शे में अंकित गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तरमीम के आधार पर सीमाज्ञान अपीलांट को कराया तो अपीलांट के होश उड़ गए। आंशिक जानकारी दिनांक 23.03.2018 को होने पर यह अपील तैयार करवाई तथा जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को पेश करने में सद्भाविक रूप से हुए विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित होगा। अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया वकील अपीलांट की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय में प्राप्त आलोच्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है व बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार द्वारा केवल प्रतिहस्ताक्षकर किये गये है। जबकि तहसीलदार बायतु को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना अनिवार्य है। बंटवारा By Metes & Bounds नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर राजस्व वाद सं. 129/1994 अनवान वादी ताराचन्द बनाम तुलछीदास वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.04.1997 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाई मिटस एण्ड बाउंडस पुनः निर्णय पारित करे।

23/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner